न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 225/2018 (2018/00225) जिला–अजमेर

1. रामकरण पुत्र सुवा
2. धन्ना पुत्र रामा
3. श्रीमती प्रेम पत्नी कालू
4. मेतीलाल पुत्र कालू
5. बुद्धिप्रकाश पुत्र कालू
6. जीवराज पुत्र कालू
7. हेमराज पुत्र कालू
8. मोहन पुत्र रामा

   समस्त जाति चमार निवासी अरवड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. ऋषिराज सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत
2. द्वारकाप्रसाद पुत्र कल्याण जाति यादव
3. बहादुर खां पुत्र हुसैन खां जाति मुसलमान
4. नारायण पुत्र हजारी जाति जाट

   समस्त निवासी ग्राम अरवड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 08–05–2018
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2018
बउनवान ऋषिराज बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री शांति प्रकाश ओझा़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री अजीत सिंह राठौड अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांकः— 10—01—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 सपठित धारा 132 के तहत राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8—5—2018 द्वारा स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना—पत्र धारा—5 पर कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष अपीलार्थीगण को आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार बनाए बिना केवल मात्र राज्य सरकार को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अरवड़ स्थित साबिक खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 9 बिस्वा भूमि में से अपीलार्थीगण की आवंटनशुदा भूमि की किस्म गैर कानूनी रूप से पारित करवा ली। उक्त आदेश की जानकारी प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण द्वारा की गई ज्वार की फसल को नष्ट करवाने की चेष्टा करने पर दिनांक 11—8—2018 को हुई जिसके आधार पर उक्त आदेश दिनांक 8—5—2018 की नकल हेतु दिनांक 13—8—2018 को आवेदन करने पर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलार्थीगण को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाने के कारण जानकारी नहीं हो सकी।अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा—5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थीगण के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि ग्राम अरवड़ की आबादी से लगती हुई सार्वजनिक नाड़ी की भूमि स्थित है उक्त नाड़ी के खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 09 बिस्वा किस्म नाडी अंकित है जो जमाबदी सम्वत 2065–2068 में दर्ज है जिसके हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 0.05 हैक्टर में नाड़ी की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है जिसकी किस्म पानी की टंकी तथा खसरा नम्बर 41 रकबा 6.18 हैक्टर की किस्म नाड़ी अंकित थी जिसे बन्दोबस्त विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उक्त रकबे के दो भाग करते हुए चाही तृतीय रकबा 3.30 हैक्टर एवं 2.88 हैक्टर पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाड़ी अंकित कर दी जबकि सम्पूर्ण आराजियात कुल रकबा 6.18 हैक्टर पूर्व रेकार्ड में विगत 70 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार नाडी ही रहा है तथा भौतिक रूप से आज भी मौके पर गांवाई नाड़ी स्थित है जिसे तेजा तलाई के नाम से जाना जाता है क्योंकि नाडी की पाल पर तेजा जी का स्थान है तथा ग्राम का पशुधन भी इसी में पानी पीता है इसकी पाल पर खड़े सघन वृक्षों की छाया में पशु बैठे रहते है तथा आगे शमशान घाट है इस प्रकार गांव से लगती हुई जमीन होकर सम्पूर्ण सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की है इसके उपरान्त भी बन्दोबस्त विभागद्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन कर अलग–अलग किस्म अंकन की गई है जिसे दुरूस्त किया जाकर पूर्व की भांति सम्पूर्ण रकबा 6.18 हैक्टर किस्म नाड़ी दुरूस्त कर वर्तमान अधिकार अभिलेख में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर तहसीलदार, सरवाड़ को किस्म परिवर्तन के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम अरवड़ स्थित वादग्रस्त आराहिजयात साबिक खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 9 बिस्वा भूमि में से रामकरण पुत्र सुवा जाति चमार को रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोहन पुत्र रामा जाति चमार को रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि, श्रीमती प्रेम पत्नी कालू एवं स्व0 कालू के विधिक वारिसान को रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा धन्ना पुत्र रामा जाति चमार को रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 28–2–2005 को मजमे आम में नियमन की गई तत्पश्चात उक्त नियमन आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन/नियमन 1970 के तहत प्रस्तुत किया जिस पर अपीलार्थीगण के नियमन

आदेशों को जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 30–6–2006 को नियमन आदेश को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 6–11–2006 द्वारा खारिज कर दी। राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 25–5–2012 द्वारा अपील स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टरअजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2006 एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2006 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर अजमेर को प्रतिप्रेषित कर दिया। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं खण्ड पीठ के समक्ष चुनौती दी गई किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2012 को यथावत रखते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाएं खारिज कर दी। अतः अपीलार्थीगण के विवादित आराजियात में हित निहित होने के उपरान्त प्रत्यर्थीगण एवं तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना एवं सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 111/2012, 112/2012, 113/2012, 120/2012 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की उक्त अपीलों में प्रत्यर्थीगण स्वयं पक्षकार होकर इनके द्वारा उक्त प्रकरणों में केवियट याचिका प्रस्तुत करवाई गई तथा इनके अभिभाषक स्वयं उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की ओर से पैरवी कर रहे है अर्थात प्रत्यर्थीगण को व्यक्तिगत रूप से प्रथम अपील विचाराधीन होने की जानकारी में होने के उपरान्त परीक्षण न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 के विरूद्ध कोई प्रकरण सक्षम न्यायलय के समक्ष विचाराधीन है या नहीं बाबत विधिअनुसार जानकारी कर प्रकरण में अगिम कार्यवाही सम्पादित की जानी चाहिए थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर अपर न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रकरण विचाराधीन होने के उपरान्त क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त भूमि बाबत डी.बी.सिविल रिट नम्बर 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के अन्तर्गत आने वाली भूमियों में 15 अगस्त 1947 से पूर्व की स्थिति बहाल

करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 15 अगस्त 1947 सम्वत 2004 की वादग्रस्त आराजियात की जमाबंदी या अन्य कोई राजस्व रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र कयासों के आधार पर अपीलधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–5–2018 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में आर. आर.टी 2019 (2) पेज 1206, आर.आर.डी. 1982 पेज 147, आर.बी.जे. 2020 पेज 162, आर.आर.डी. 1989 पेज 382, आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 125, आर.आर.डी 1984 पेज 46, आर.आर.टी 2017 (2) पेज 844, आर.आर.टी 2021 (1) पेज 379, आर.आर.टी 2021 (2) पेज 1295, आर.आर.टी 2017 (2) पेज 1367, आर.आर.टी 2020 (2) पेज 932, आर.आर.टी 2020 (1) पेज 91 की नजीरे प्रस्तुतकर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात में से भूमि का आवंटन जिला कलक्टर द्वारा उनके आदेश दिनांक 22–9–2016 द्वारा निरस्त किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2065–2068 तक वादग्रस्त आराजियात खाते में सिवायचक दर्ज थी। वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 9 बिस्वा है जमाबंदी सम्वत 2069–88 में बारानी नाडी अंकित है। वर्ष 2005 में जमीन आवंटन के वक्त सिवायचक दर्ज थी। जमांबदी सम्वत 2022–25, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57 में विवादित आराजियात पानी के नीचे डूब क्षेत्र में थी। विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज करके भूमि आवंटित की गई। जिला कलक्टर द्वारा आवंटन निरस्त किया है। जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी किस्म परिवर्तन नहीं कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने 5–10–2016 को जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2016 की पालना तहसीलदार सरवाड़ से नियमानुसार मंगवाये जाने हेतु लिखा। वादग्रस्त आराजियात सिवायचक नाडी दर्ज थी जिसमें अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, सरवाड़ को पक्षकार बनाया गया है जिससे रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार ने दिनांक 24–4–2018 को रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें राजस्व रेकार्ड जमाबंदही चौसाला सम्वत 2065–68 के खाता संख्या 01 में दर्ज खसरा नम्बर 29 ररकबा 38 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी–2 नाडी के अनुसार मिसल बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2069–88 के खाता संख्या 361 में दर्ज खसरा लनम्बर 41 रकबा 6.18 हैक्टर किस्म चाही तृतीय 3.30 व गैर मुमकिन नाडी 2.88 के स्थान पर उपरोक्त खसरे की सम्पूर्ण रकबे की किस्म सम्वत 2065–2068 में दर्ज किस्म बारानी–2 नाडी के आधार पर मिसल बन्दोबस्त जमाबंदी के खसरा नम्बर 41 रकबा 6.18 हैक्टर में किस्म बारानी 2 नाडी किये जाने की अभिशंषा की है। अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से

प्रस्तुत की है। दिनांक 11–10–2018 को 60 दिन पूरे हो चुके है। प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक ने नजीरो का उदाहरण पेश कर मियाद में कारण संतोषप्रद अंकित नहीं हो और अंकित सिद्ध नहीं हो तो मियाद लागू नहीं की जा सकती है। ग्राम अरवड़ की आबादी से लगती हुई सार्वजनिक नाड़ी की भूमि स्थित है उक्त नाड़ी के खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 09 बिस्वा किस्म नाडी अंकित है जो जमाबदी सम्वत 2065–2068 में दर्ज है जिसके हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 0.05 हैक्टर में नाड़ी की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है जिसकी किस्म पानी की टंकी तथा खसरा नम्बर 41 रकबा 6.18 हैक्टर की किस्म नाड़ी अंकित थी जिसे बन्दोबस्त विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उक्त रकबे के दो भाग करते हुए चाही तृतीय रकबा 3.30 हैक्टर एवं 2.88 हैक्टर पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाड़ी अंकित कर दी जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा दुरूस्ती के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में आर. आर.डी. 1989 पेज 748, आर.आर.डी. 1989 पेज 203 (एच.सी), आर.आर.डी. 2001 (1) पेज 244 (एच.सी), आर.आर.डी. 2008 (1) पेज 151 (एचसी) आर.आर.डी. 1998 पेज 1 (एचसी), आर.आर.डी. 1999 पेज 98, आर.आर.डी. 1999 पेज 152 (एचसी), आर.आर.डी. 1999 पेज 389 (एचसी) की नजीरे प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। .

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम अरवड़ की आबादी से लगती हुई सार्वजनिक नाड़ी की भूमि स्थित है उक्त नाड़ी के खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 09 बिस्वा किस्म नाडी अंकित है जो जमाबदी सम्वत 2065–2068 में दर्ज है जिसके हाल खसरा नम्बर 40 रकबा 0.05 हैक्टर में नाड़ी की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया हुआ है जिसकी किस्म पानी की टंकी तथा खसरा नम्बर 41 रकबा 6.18 हैक्टर की किस्म नाड़ी अंकित थी जिसे बन्दोबस्त विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना उक्त रकबे के दो भाग करते हुए चाही तृतीय रकबा 3.30 हैक्टर एवं 2.88 हैक्टर पूर्व की भांति गैर मुमकिन नाड़ी अंकित कर दी जबकि सम्पूर्ण आराजियात कुल रकबा 6.18 हैक्टर पूर्व रेकार्ड में विगत 70 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार नाडी ही रहा है जो कि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में आ रहा है। सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि को किसी को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में भी भूमि की किस्म नाडी ही दर्ज की हुई है। सेटलमेंट ऑपरेशन के तहत भूमि की किस्म, कृषकों के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियो को परिवर्तित करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात की किस्म नाडी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार पानी के नीचे डूबी हुई भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा भी विभिन्न पारित निर्णय अनुसार जल प्रवाह क्षैत्र जैसे पाल, तलाई, तालाब, नाडी व अन्य जल संग्रहण कार्यो हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की किस्मों के आवंटन/नियमन पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण को ग्राम अरवड की विवादित आराजियात खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 9 बिस्वा किस्म बारानी–2 नाडी में आवंटन/नियमन किया गया है जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजियात पानी के नीचे, डूब में आई है तथा किस्म नाडी है जिसका किसी को भी आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 22–9–2016 द्वारा आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार सरवाड को विवादित आराजियात का कब्जा राजहित में प्राप्त कर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर 14(4) की कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है। साथ ही तहसीलदार, सरवाड़ की रिपोर्ट दिनांक 24–4–2018 के अनुसार ग्राम अरवड़ की राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 के खाता नम्बर 01 में पानी के नीचे वाली भूमि व कुंए में खसरा नम्बर 29 रकबा 38 बीधा 9 बिस्वा किस्म बारानी–2 नाडी सिवायचक खाते में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–5–2018 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–05–2018 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 26/2018 बउनवान ऋषिराज बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर